संख्या-41/2017/2299/22-2-2016-17(28)/2014

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 16 जनवरी, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा वर्तमान में जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुधीर उर्फ बिट्टू पुत्र श्री महीपाल निवासी जनपद-शामली की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-45104/प्रोबेशन-3/(एम-22-12-2016) दिनांक-22-12-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 22.12.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा वर्तमान में जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुधीर उर्फ बिट्टू पुत्र श्री महीपाल, निवासी-करेटू, थाना-झिझाना, जनपद-मुजफ्फरनगर वर्तमान शामली का रहने वाला है। बन्दी द्वारा खेत की मेड को काटने के विवाद को लेकर दिनांक 18.07.1999 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 03 व्यक्तियों की हत्या की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1403/1999 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0-2, मुजफ्फरनगर द्वारा दिनांक 09-02-2005 को मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में क्रि0 अपील सं0-828/2005 योजित की गयी जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2005 द्वारा मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 21.12.2016 तक 17 वर्ष 04 माह 28 दिन की अपरिहार तथा 21 वर्ष 04 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी के परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी के परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट शामली की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 31.05.2016 द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने खेत की मेड को काटने के विवाद को लेकर दिनांक 18.07.1999 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है । इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 34 वर्ष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा अतिरिक्त पांच बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, समिति द्वारा रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सुधीर उर्फ बिट्टू पुत्र श्री महीपाल को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है।

3- उल्लेखनीय है कि बन्दी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में रिट याचिका (क्रिमिनल) सं0-106/2016 धन्ना उर्फ धर्मेन्द्र व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी है। उक्त याचिका में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.08.2016 का संगत अंश निम्नवत उद्धृत है:-

..... Having heard learned counsel for the petitioners, we are of the considered opinion that the petitioners should approach the State Government for seeking release by granting them remission under Sections 432 and 433 of the Criminal Procedure Code That apart, the petitioners are at liberty to seek the benefit of parole or transfer to a different jail. If an application is made by the petitioners in that regard within a week hence, the appropriate authority of the Government shall consider the same within three weeks there from.

With the aforesaid direction, the writ petition stands disposed of:

4- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों तथा मा0 उच्चतम नयायालय के आदेश दिनांक 12.08.2016 के अनुपालन में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी सुधीर उर्फ बिट्टू (बन्दी संख्या-16399) पुत्र श्री महीपाल निवासी जनपद-शामली के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-41/2017/2299(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शामली।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार आगरा/अधीक्षक, जिला कारागार, मुजफ्फरनगर।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्ंया-41/2017/2299/22-2-2016-17(28)/2014

दिनांक 16 जनवरी, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा वर्तमान में जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुधीर उर्फ बिट्टू पुत्र श्री महीपाल, निवासी-करेटू, थाना-झिझाना, जनपद-मुजफ्फरनगर वर्तमान शामली का रहने वाला है। बन्दी द्वारा खेत की मेड को काटने के विवाद को लेकर दिनांक 18.07.1999 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 03 व्यक्तियों की हत्या की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1403/1999 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0-2, मुजफ्फरनगर द्वारा दिनांक 09-02-2005 को मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में क्रि0 अपील सं0-828/2005 योजित की गयी जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2005 द्वारा मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 21.12.2016 तक 17 वर्ष 04 माह 28 दिन की अपरिहार तथा 21 वर्ष 04 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी के परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट शामली की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 31.05.2016 द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने खेत की मेड को काटने के विवाद को लेकर दिनांक 18.07.1999 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है । इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 34 वर्ष लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा अतिरिक्त पांच बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, समिति द्वारा रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सुधीर उर्फ बिट्टू पुत्र श्री महीपाल को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in